



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional Office,
Chandigarh



दिनांक: -06-2022

मिसिल संख्या -: 9-HRB201/2021-CHA
सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़ - 160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषय:- Diversion of 0.0038 ha of forest land in favour of M/s Gupta Oxygen Pvt. Ltd. for access to M/s Gupta Oxygen Pvt. Ltd. on NH-09 to Thaska Road (ODR) Km. 2.258 L/side, village beer, under forest division and District Hisar, Haryana (Online proposal FP/HR/Approach/145128/2021)

संदर्भ (i) State Government online proposal received on dated 15.12.2021.
(ii) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षण, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10109/619 दिनांक 31.05.2022.

महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषय से से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है। इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.12.2021 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10109/619 दिनांक 31.05.2022 (ऑनलाइन पोर्टल) द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.0038 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

- i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाएगा।
- iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Comp No. H43P15 of site Jakhal Hisar R/way line RD 70 to 71 L/side, में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 1,45,934/- रुपये (one lakh forty five thousand nine hundred & thirty four only) से 100 पौधें लगाकर किया जायेगा।
- iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- v. CEO, State CAMPA, इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित सीए योजना के अनुसार CA वृधारोपण के लिए DFO को CAMPA Scheme के तहत धनराशि जारी करना सुनिश्चित करेगा।
- vi. DFO अनुमोदित CA Sites पर वृधारोपण करना सुनिश्चित करेगा और MoEF&CC की अनुमति प्राप्त किए बिना अनुमोदित को नहीं बदलेगा।
- vii. राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
- viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- ix. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बड़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- x. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।

File No.9-HRB201/2021-CHA

- xi. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण किया जायेगा।
- xiv. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xvi. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
2. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी
- यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है।

भवदीय,

हस्ता/-
उप-वन- महानिरीक्षण
IRO, MoEF&CC
No. DIII 10109/732-34 Dt: 15/6/2022 (राजा राम सिंह)

प्रतिनिधि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cfcpanchkula@gmail.com)
4. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana (haryanacampa@gmail.com)
5. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Hisar, Haryana (dfohisar.t@gmail.com)
6. M/s GUPTA OXYGEN PVT LTD., THASKA ROAD (ODR), AT KM 2.258 (LHS), VILLAGE-BEER, TEHSIL & DISTRICT HISAR (guptagases@gmail.com)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण)
हरियाणा, पंचकुला
13/6/2022